छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक

CHHATTISGARH GRAMIN BANK (Scheduled Bank Owned by Government)

क्षेत्रीय कार्यालयः धमतरी, भू-तल, सोनकर प्लाजा, रूद्री रोड, धमतरी (छ.ग.) पिन-493773
Email :npa.ro.dha@cgbank.in I Mobile No. 6232032395 I Web : www.cgbank.in

अचल सम्पत्ति ई-नीलामी सूचना : "जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" (नीलामी तिथि 23/12/2026) समयः दोप. 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

अधोहस्ताक्षरकर्त्ता **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) एवं धारा 13(4) प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न दर्शित ऋणी के स्वामित्व वाली सम्पत्ति जिसका अधिग्रहण **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के द्वारा कर लिया गया है, ऋणी से देय राशि वसूली हेतु सम्पत्ति ई-नीलामी, सीलबंद निविदा के रूप में आमंत्रित करता है एवं ऋण ग्रहिताओं को विशिष्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्न वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है । सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिये **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी एवं शाखा की जानकारी	संपत्ति स्वामी का नाम/ संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा तिथि/ कब्जा का प्रकार	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि
शाखा- धमतरी (शाखा संपर्क मो. क्र. - 6232032303) ऋणीः- 1) श्री नीलेश कुमार गुप्ता पिता श्री चंद्रहास प्रसाद गुप्ता 2) श्रीमति प्रियंका गुप्ता पति श्री नीलेश कुमार गुप्ता पता- पोस्ट ऑफिस वार्ड, आमातालाब, जिला- धमतरी (छ.ग.)- 493773	**ऋणी की बंधक संपत्ति का विवरण- श्री नीलेश कुमार गुप्ता पिता श्री चंद्रहास प्रसाद गुप्ता**, फ्लैट क्र. डी-02, चतुर्थ तल, बिल्ट उप एरिया 910 वर्गफुट, अरिहंत श्री अपार्टमेंट, नजूल शीट क्र. 32 सी, प्लाट क्र. 84/1, 84/3 का भाग, आमापारा, तहसील- धमतरी, जिला- धमतरी (छ.ग.) - 493773, **चौहददीः- उत्तर-** खुला, **दक्षिण-** फ्लैट न. डी-03, **पूर्व-** फ्लैट क्र. डी-01, **पश्चिम-** लिफ्ट का रास्ता ।	23/05/2025	07/10/2025 भौतिक	₹ 17,50,206/- + ब्याज + अन्य व्यय	₹ 14,32,800/-	₹ 1,43,280/- ₹ 10,000/-

ई-नीलामी की शर्तेंः- (1) ई-नीलामी **"जहां है जैसा है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर भार सहित (अगर कोई हो) की जायेगी । बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है । भार के विवरण हेतु अधोहस्तारकर्ता से धरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें । नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट **www.baanknet.com** के माध्यम से आन लाईन ई-नीलामी की जावेगी । **(2)** आरक्षित मूल्य कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जाएंगे । **(3) संपत्ति निरीक्षण दिनांक 24/11/2026** से **20/12/2026**, **सुबह** 11.00 से सायं 4.00 बजे तक संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है । **(4)** इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि **(EMD)** आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि प्राधिकृत अधिकारी **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के उपरोक्त संबंधित शाखा के पक्ष में देय हो, जो दिनांक **21/12/2026** को सायं बजे 4.00 तक जमा करें अथवा आनलाईन भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से उपरोक्त वर्णित खातों में किया जा सकता है । **(5)** सफल खरीददार के पक्ष में विक्रय की पुष्टि सिक्योर्ड क्रेडिटर की पुष्टि के अधीन होगी । **(6)** ऑन लाईन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता **M/s PSB Alliance (baanknet), Contact No:: 8291220220, Help Line E-mail ID ::- support.baanknet@psballiance.com, Website: https://baanknet.com** पर जिस दिन धरोहर राशि जमा की हो उसी दिन डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता से संपर्क करें। इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल **www.baanknet.com** में नाम पंजीकृत करवाए और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें । **(7)** ईएमडी जमा करने के पश्चात इच्छुक खरीददार को **दिनांक 21/12/2026** को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रुप से जमा करना होगा । **अ.** ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर या यूटीआर नं. अगर भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया गया हो तो । **ब.** पेन कार्ड की फोटोकापी/पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण पत्र । **स.** इच्छुक खरीददार का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं ई-मेल आईडी । **द.** इच्छुक खरीददार के बैंक खाते का पूरा ब्यौरा (नीलामी प्रक्रिया में असफल होने पर टोकन रकम की वापसी) । **(8)** बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जावेगी । **(9)** सफल बोलीकर्ता को स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च/फीस पंजीयन शुल्क ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्चे इत्यादि वहन करने होंगे । **(10)** यहां संपत्ति की विक्रय राशि रु. 50 लाख या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1 प्रतिशत टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी । **(11)** अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा से सम्पर्क करें या ईमेल करें **eauction@ccsl.co.in** अथवा सर्विस प्रदाता **M/s PSB Alliance (baanknet), Contact No:: 8291220220, Help Line E-mail ID ::- support.baanknet@psballiance.com, Website: https://baanknet.com** पर संपर्क करें।

सूचना- अंतिम मिनिट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचे । छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं सेवा प्रदाता किसी बंद/त्रुटि इंटरनेट बंद/लाईट जाने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे । इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें । जैसे कि बैकअप पावर सप्लाई आदि जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें । (नोटः नीलामी की प्रक्रिया डीआईसी के नियम एवं शर्तों के तहत होगी ।)

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (यों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है ।

दिनांकः 24.11.2026

प्राधिकृत अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- धमतरी